को पेश की

उपखण्ड अधिकारी
बसवाड़ा

25-8-18
विशेष

[illegible] /प्रार्थी/अप्रार्थी
[illegible] /अनु [illegible] के अदालत में पेश हुई।
[illegible] की गई। सुलहनामा
नहीं हुआ। [illegible] संबंधित [illegible]
को वापस लौटाई जावे। दिनांक 27-8-18 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
बसवाड़ा

27.8.18 पत्रावली पर आज दोनों आवेदिकागण का आवेदिकागण अनुपस्थित। बार-बार कहे जाने का बावजूद अनुपस्थित। न्यायालय नहीं चाहते है प्रार्थना पत्र आवेदिकागण अदम हाजरी अदम पैरवी प्रतिकूल आदेश जारी किया जाता है। अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दि० 17.7.14 जारी किया जाता है। पत्रावली फैसल हुआ तोड़ मान्य के साथ तथा बाद तकमील कार्यवाही उपखण्ड दाखिल दफ्तर (6) निर्णय आज दि० 27.8.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बसवाड़ा